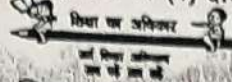


प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (DAMOH), मध्य प्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

दिनांक:- 26/05/2015

प्राप्त/स्कूल आई.डी.
ति,

प्रबंधक,

(DPSG DAMOH)

विश्व निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।
होदय/महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 28/04/2015 तथा इस संबंध में स्कूल से पंजातवती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल - DPSG DAMOH, OJASWINI NAGAR SAGAR ROAD DAMOH को कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2015 से 31/03/2016 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

क स्विकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।

स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपाबंधों का पालन करेगा।

स्कूल अपने पड़ोस की सीमा के अर्धित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि क्षमता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवृत्ति व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवृत्ति सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्त कि जहाँ स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपाबंध विस्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगा।

धारा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।

स्कूल को कोई भी कंपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालकों को स्कूल से 14 दिनों के अग्रिम बैंक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को को प्रस्तुत करेगा।

स्कूल को बालकों को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा।

• (क) बालकों के अभाव में,

• (ख) यदि बालकों के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है,

• (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।

स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-

- किती स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
- किती बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
- प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
- नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
- अधिनियम के उपाबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
- अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्त कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
- शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
- प्रायदेव टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।

स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

MANAGER
DPSG Damoh
Ojaswini Nagar
Sagar Road, Damoh (M.P.)

PRINCIPAL
DPSG Damoh
Ojaswini Nagar
Sagar Road, Damoh (M.P.)
Contact-9573304055

12

CHAIRPERSON
Damoh

School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal [www.educationportal.mp.gov.in]

स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे; अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं:-

सुविधाएं	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	304500	304500
स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	87000	87000
खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	217500	217500

अधीनस्थता का विवरण	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
कक्षा	Rooms as per RTE	संख्या
कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्षा	20	732
कार्यालय कक्षा-सात-अष्टादश कक्षा-सात-पचास-पचास कक्षा	4	732
भोजनालय-सात-अष्टादश	1	366

अन्य सुविधाएं	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है? हां/नहीं	हाँ	हाँ
पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
पुस्तकों की संख्या	2000	2000
परिष्कार/समाचार पत्र	17	17
पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
पेयजल सुविधा की संख्या	6	6
शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
तडकियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	12	12
तडकियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	12	12
विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	2	2
क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है? हां/नहीं	हाँ	हाँ

लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों को जमा करके प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा जाएगा।

आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर 120701589 एवं आईसकोड (DISE) 23120304907 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।

ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।

सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।

अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।

अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

MANAGER
DPSG Damoh
Ojaswini Nagar
Sagar Road, Damoh (M.P.)

PRINCIPAL
DPSG Damoh
Ojaswini Nagar
Sagar Road, Damoh (M.P.)
Contact-9575304055

मध्य प्रदेश
जिला शिक्षा अधिकारी
DAMOH

मध्य प्रदेश